

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 223/2024

1. विनोद कुमार पुत्र श्रीचंद जाति जाट निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

---वादी

बनाम

1. श्रीचंद पुत्र जीतराम जाति जाट निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. सुशीला पुत्री श्रीचंद पत्नी धर्मेन्द्र जाति जाट निवासी धींगतानिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

---प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :- 17/10/24

वादी की ओर से श्री सुभाष चन्द्र गर्ग अधिवक्ता व प्रतिवादीगण की ओर से महावीर वर्मा अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17/10/24 को सत्यनारायण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जायें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णितानुसार चक नं० 22 एनजीसी खाता सं० 100/93 प०न० 186/266 मु० 28 किलान० 4/253, 5/1/.215, 5/2/.038 है० गै०मु० रास्ता, 6/1/.215, 6/2/.038 है० गै०मु० रास्ता, 7,8,9 में कुल 1.518 है० आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड में अंकन कर चक नं० 22 एनजीसी के खाता सं० 100/93 में से प्रतिवादी स० 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमोलन शामिल किया जायें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 17/10/24 मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर



(सत्यनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

